2018/00647

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2018 (बांसवाड़ा डिकी)

1. कला पिता मडिया, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती लीला देवी पत्नी सरदारसिंह जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. किर्तन पिता सरदारसिंह जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. चन्दु पिता रमेश जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. राजेश पिता रमेश जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/5. अश्विन पिता रमेश जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/6. तिलक पिता रमेश जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/7. श्रीमती गलबी बेवा रमेश जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/8. हरिशचन्द्र पिता कला जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/9. श्रीमती मणी बेवा कला जी, जाति भील, निवासी सांगरिया, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नानजी पिता खेमजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी बजार, पंचायत सल्लोपाट, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का...
डिकी उपखण्ड अधि...
दि...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एम0 के0 गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:———

निर्णय दिनांक 04–04–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 311/150 रकबा 5 बीघा एव 313/250 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा भूमि गांव बजार में स्थित है, जो वादी को दिनांक 19–08–1972 व 21–10–1972 को आवंटित की गयी थी, जिस पर वादी असरे दराज से काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के हाल आराजी नंबर 845 रकबा 1.46 हैक्टर होकर वादी का पुराना कब्जा है। हाल आराजी नंबर 845 के दक्षिण में खसरा नंबर 844 प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि है, जो वर्तमान में श्री सरकार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने मूल खसरा नंबरान के आवंटन को लेकर जिला कलक्टर बांसवाड़ा के यहां 14 (4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 10–09–1991 को वादी के विरूद्ध होने से वादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां अपील संख्या 155/1994 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 25–11–1995 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में करने पर दिनांक 19–04–2002 को प्रकरण भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को रिमाण्ड किया गया, जिस पर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने दिनांक 20–02–2004 को निर्णय पारित करते हुए जिला कलक्टर बांसवाड़ा का निर्णय दिनांक 10–09–1991 निरस्त कर दिया, जिसकी आगे कोई अपील या रिवीजन नहीं हुई है। वादी ने पुनः भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रकरण राजस्व मण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अजमेर में विचाराधीन होकर तथा उसमें यथास्थिति बाबत् आदेश पारित किये गये हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर दिनांक 01–02–2018 को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. स्वीकार कर से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से एम. के. गांधी उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01–02–2018 को निर्णय पारित किया, जबकि उसे दिनांक 27–07–2018 को सुनाया गया, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु नियत था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये न्यायालय आपके द्वारा में प्रकरण रखकर अनुचित रूप से बैक डेट में निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का आवंटन के पूर्व से आज दिनांक तक चला आ रहा है, जिसे 40 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट को विवादित आराजी नंबर 845 रकबा 1.46 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रकरण में राजस्व मण्डल से स्थगन होने से तथा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार का अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की आदेशिका दिनांक 23–03–2004 अनुसार प्रकरण में स्थगन जारी होकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं तथा वर्तमान में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दावा लोवर कोर्ट में नहीं चलना मान कर रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–02–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

कला के बजाय श्रीमती लीला देवी पत्नी सरदारसिंह जी, निवासी सांगरिया, तह0 गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा व अन्य — बनाम — नानजी पिता खेमजी डिण्डोर, नि. बजार, पंचायत सल्लोपाट, तहसील बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....23 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....बागीदौरा ..... मुकाम.....मुवर्खे.....01.....माह.....02.....2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04....माह.....04.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री एम. के. गांधी .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 01–02–2018 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04....माह.....04.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:12 IST
Reason: SelfAttested